भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-201
सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

महिला श्रम भागीदारी

201. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कम महिला श्रम बल भागीदारी की निरंतर जारी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम महिला भागीदारी के कारण उत्पन्न नुकसान का मौद्रिक संदर्भ में आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कम महिला श्रम बल भागीदारी के लिए पहचाने गए कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को दूध पिलाने हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 2004-05, 2009-10, 2011-12 एवं पीएलएफएस (2017-18) के दौरान देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला श्रमबल भागीदारी दर क्रमशः 42.7% , 32.6%, 31.2% एवं 23.3% है।

विभिन्न कार्य-पद्धति के अपनाए जाने के कारण, उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणाम तुलनात्मक नहीं हैं। तथापि, ये परिणाम वर्ष-दर-वर्ष गिरती हुई महिला श्रमबल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। यह गिरावट शिक्षा में महिलाओं की उच्चतर भागीदारी, प्रवास आदि जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

****